

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कानपुर नगर।
पत्रांक: प्रामान्यता-अंग्रेजी माध्यम / ३१०४।-५९ / २०२०-२१ दिनांक: २५.३.२१

प्रबंधक,
इण्टरनेशनल सेन्टर इंगिलिश स्कूल,
9/50, बी०एस० पार्क, आर्य नगर, कानपुर नगर।

विषय— निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम –2010 के नियम 15 के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण—पत्र।

महोदय,

नहापप, शासनादेश संख्या 89 /अरसठ-3-2018-2041 बेसिक शिक्षा अनुभाग-3 दिनांक 11 जनवरी 2019 एवं शासनादेश संख्या -196 /अरसठ-3-2020-2041 / 2018 बेसिक शिक्षा अनुभाग-3 दिनांक 29 जून -2020 में निर्दिष्ट निर्देशों / कार्यक्रम के अनुसार अंग्रेजी माध्यम से प्राथमिक स्तर की मान्यता हेतु आपके आवेदन पत्र और जाँच अधिकारी के निरीक्षणोपरान्त उपलब्ध कराई गयी निरीक्षण आख्या के आलोक में जनपदीय मान्यता समिति कानपुर नगर की बैठक दिनांक 25.03.2021 को लिए गए निर्णय के आधार पर मैं, इण्टरनेशनल सेन्टर इंग्लिश स्कूल, 9/50, बी०एस० पार्क, आर्य नगर, कानपुर नगर को शिक्षा सत्र 2021-22 से एक शैक्षिक सत्र के लिए कक्षा-1 से कक्षा-5 तक के लिये अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ। उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्यधीन हैं:-

- 1-मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है, और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 5 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

2-विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपांचंद 1) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 (उपांचंद-2) के उपबन्धों का पालन करेगा।

3-विद्यालय कक्षा-1 में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पडोस के कमज़ोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।

4-पैरा- 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा-12 की उप धारा (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

5-सोसाइटी /विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा, और किसी बालक या उसके माता पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।

6-विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा, और वह अधिनियम की धारा-15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।

 - I. प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - II. किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्तीर्ण के अध्याधीन नहीं किया जायेगा।
 - III. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - IV. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।

V. अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःसत्यताग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

VI. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा-23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम् अर्हताओं के साथ किया जाना अनिवार्य होगा। विद्यालय में शिक्षणकार्य टी0इ0टी0उत्तीर्ण शिक्षकों से ही कराया जाय।

VII. अध्यापक अधिनियम की धारा 24 के अधीन विर्निष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और

VIII. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करें।

कमशः 2 पर


Chairman
al Centre English School
Kanpur

(2)

- 7— विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
- 8— विद्यालय अधिनियम की धारा—19 में यथा निर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सन्नियमों को बनाये रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधायें निम्नानुसार हैं—


कठसं०	विद्यालय में उपलब्ध प्रसुविधाएं	विवरण
1	विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	7081.9987 वर्ग मीटर
2	कुल निर्मित क्षेत्र	1200.00 वर्ग मीटर
3	क्रीड़ा स्थल का क्षेत्रफल	—
4	कक्षाओं की संख्या	5
5	प्रध्यापक — सह कार्यालय— सह भण्डारागार के लिये कक्ष	3
6	बालक/बालिकाओं के लिये पृथक शौचालय	2/3
7	पेय जल सुविधा	सबमर्सिवल
8	बाधा रहित पहुँच	मुख्य राजमार्ग के निकट है।
9	अध्यापक पठन सामग्री/क्रीड़ा खेल—कूद उपस्कर्ता/पुस्तकालय की उपलब्धता	उपलक्ष्मा है।

- 9—विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षायें नहीं चलाई जायेगी।
- 10—विद्यालयभवन या संरचनाओं या क्रीड़ास्थल का प्रयोगकेवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जाता है।
- 11—विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी के द्वारा या तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
- 12—स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जा रहा है।
- 13—विद्यालय के लेखाओं की किसी चाटर्ड एकान्टेंट द्वारा समीक्षा की जानी चाहिये। और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये, तथा उचित लेखा विवरण, नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिये। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष, जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिये।
- 14—आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक प्रा०मा०—अंग्रेजी माध्यम—2020—21 / .../... है। कृपया इसे नोट कर लें, और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्यांक का उल्लेख करें।
- 15—विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है, जो समय—समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो, और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के लिये अनुदेशों का पालन करता है। जो मान्यता संबंधी शर्तों के शतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्य करण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जायें।
- 16—सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो तो सुनिश्चित किया जाये।
- 17—प्रबन्धाधिकारण द्वारा यदि कोई तथ्य गोपन किया जाना पाया गया तो विभागीय नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी जिसका समस्त उत्तरदायित्व प्रबन्धाधिकरण का होगा।


 (डॉ. अविनाश कुमार)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी


कानपुर नगर।



 २५/३/२०२१


पू०सं०/प्रा०मान्यता—अंग्रेजी माध्यम/३१०४१—५९ /2020—21 तददिनांक।

प्रतिलिपि—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— शिक्षा निदेशक (ब०) उत्तर प्रदेश निशातगंज लखनऊ।
- 2— सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 3— मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (ब०) कानपुर मण्डल कानपुर।
- 4— जिला समाज कल्याण अधिकारी/अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, कानपुर नगर।
- 5— सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी (ग्रामीण/नगर क्षेत्र) कानपुर नगर।
- 6— कार्यालय प्रति।


 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
कानपुर नगर।


 २५/३/२०२१


 Chairman
International Centre English School
Kanpur


कार्यालय—जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कानपुर नगर।

पत्रांक—/प्र०श्र०लि०-४/ ३०९२२-३०

/2020-21

दिनांक: 25.3.2021

प्रबन्धक,
इण्टरनेशनल सेन्टर इंग्लिश स्कूल,
9/50, बी०एस० पार्क, आर्य नगर, कानपुर नगर।

विषय— निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण—पत्र।

महोदय,

शासनादेश सं०-८७/अरसठ-३-२०१८-२०४१/२०१८ बेसिक शिक्षा अनुयाय-३ लखनऊ दिनांक 11 जनवरी २०१९ एवं शासनादेश संख्या-१९६/अडसठ-३-२०२०-२०४१/२०१८ दिनांक २९ जून २०२० बेसिक शिक्षा अनुयाय-३ में निर्दिष्ट निर्देशों के आलोक में अंग्रेजी/हिन्दी माध्यम से उच्च प्राथमिक स्तर की मान्यता हेतु आपके आवेदन पत्र और इस संबंध में जांच अधिकारी के निरीक्षणोपरान्त उपलब्ध कराई गयी निरीक्षण आख्या के आलोक में मण्डलीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक २४-०३-२०२१ को लिए गए निर्णय के आधार पर मैं इण्टरनेशनल सेन्टर इंग्लिश स्कूल, 9/50, बी०एस० पार्क, आर्य नगर, कानपुर नगर को कक्षा ६ से कक्षा ८ तक के लिये अंग्रेजी माध्यम औपचारिक (अस्थाई) मान्यता प्रथमतः एक वर्ष के लिए प्रदान करने की संसूचना देता हूँ। उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्यधीन है—

१—मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है, और उसमें किसी भी रूप में कक्षा ८ के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

२—विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबंध १) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 (उपाबंध-२) के उपबन्धों का पालन करेगा।

३—विद्यालय प्राथमिक कक्षा में बालकों की संख्या के २५ प्रतिशत तक आस-पडोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा। और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य उच्च प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।

४—पैरा—३ में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा-१२ की उप धारा (२)के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

५—सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा, और किसी बालक या उसके माता पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।

६—विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा, और वह अधिनियम की धारा-१५ के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।

I. प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

II. किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्याधीन नहीं किया जायेगा।

III. उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

IV. उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम २५ के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण—पत्र प्रदान किया जायेगा।

V. अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःसत्यता ग्रस्त /विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

VI. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा-२३ (१)के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम् अर्हताओं के साथ की जाती है, परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम् अर्हताये नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर न्यूनतम् अर्हताये अर्जित करें।

VII. अध्यापक अधिनियम की धारा २४ (१) के अधीन विर्तिदिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और

VIII. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करें।

७— विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

८— विद्यालय अधिनियम की धारा १९ में यथा विर्तिदिष्ट विद्यालय के मानकों और सन्नियमों को बनाये रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधायें निम्नानुसार हैं—

क्र०सं०	विद्यालय में उपलब्ध प्रसुविधाएं	विवरण
1	विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	7082 वर्ग मीटर
2	कुल निर्मित क्षेत्र	1200 वर्ग मीटर
3	क्रीड़ा स्थल का क्षेत्रफल	—
4	कक्षाओं की संख्या	5
5	प्रधानाध्यापक —सह कार्यालय— सह मण्डारामार के लिये कक्ष	2
6	बालक/बालिकाओं के लिये पृथक शौचालय	2/2
7	पेय जल सुविधा	सबमर्सिवल पम्प उपलब्ध है।
8	बाधा रहित पहुँच	बाधा रहित पहुँच उपलब्ध है।
9	अध्यापक पत्रन सामग्री/क्रीड़ा खेल-कूद उपस्कर्तों/पुस्तकालय की उपलब्धता	उपलब्ध है।

Chairman
International Centre English School
Kanpur



- 9—विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षायें नहीं चलाई जायेगी।
- 10—विद्यालय भवनों या संरचनाओं या क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जाता है।
- 11—विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी के द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
- 12—स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यक्तियों के समूह या संगम या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जा रहा है।
- 13—विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकार्टेंट द्वारा समीक्षा की जानी चाहिये। और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये, तथा उचित लेखा विवरण, नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिये। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष, जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिये।
- 14—आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक जू0हा० स्कूल—अंग्रेजी/हिन्दी माध्यम/2020-21/05 है। कृपया इसे नोट कर लें, और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्यांक का उल्लेख करें।
- 15—विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है, जो समय—समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो, और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के लिये अनुदेशों का पालन करता है। जो मान्यता संबंधी शर्तों के शतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्य करण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जायें।
- 16—सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो तो सुनिश्चित किया जाये।
- 17—संलग्न उपाबन्ध के अनुसार अन्य कोई शर्त।
- 18—मण्डलीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक 24-03-2021 में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि विद्यालय भूमि के सम्बन्ध में प्रबन्धक द्वारा दिये गये प्रस्ताव/शपथ पत्र के आधार पर मान्यता आदेश इस आधार पर निर्गत किया जाये कि भविष्य में भूमि के सम्बन्ध में कोई तथा गोपन पाया जाता है तो उक्त मान्यता स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

Dawn Kunt
 (डा० पवन कुमार तिवारी)
 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
 कानपुर नगर।

पृ०स०/प्र०त्र०लि०-४/

/2020-21 तददिनांक।

- प्रतिलिपि—निम्नाँकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—
- 1—शिक्षा निदेशक (ब०)उत्तर प्रदेश निशातगंज लखनऊ।
 - 2—सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
 - 3—मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (ब०)कानपुर मण्डल कानपुर।
 - 4—जिला समाज कल्याण अधिकारी कानपुर नगर।
 - 5—अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कानपुर नगर।
 - 6—पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कानपुर नगर।
 - 7—संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी कानपुर नगर।
 - 8—कार्यालय प्रति।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
 कानपुर नगर।

Chairman
 International Centre English School
 Kanpur

